संख्या:-30/2024/833ई-2/तेरह-2024-1855023

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक: 07 अक्टूबर, 2024**

विषयः-मेसर्स होटल अमर, टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स, फतेहाबाद रोड आगरा-282001 में श्री अमर देव साहनी को 106 लीटर प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार 37,100 ब.ली. वार्षिक क्षमता तक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु लघु यवासवनी (माइक्रो ब्रिवरी) की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-67/दो-प्रा.एम.बी.(30)/होटल अमर/लघु यवासवनी, दिनांक 24-09-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-09-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स होटल अमर, टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स, फतेहाबाद रोड आगरा-282001 में श्री अमर देव साहनी को 106 लीटर प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार 37,100 ब.ली. वार्षिक क्षमता तक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु लघु यवासवनी (माइक्रो ब्रिवरी) की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली 1961 (यथासंशोधित) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 04.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण **(FSSAI)** द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये मानकों एवं गाईडलाइन का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।